

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्रा/वि/परिषद सम्प्रदाता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 10-5-2019

-कार्यालय ड्राफ्ट-

अभिमत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु विद्यार्थी कर्मीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ ने सम्प्रदाता/सम्प्रदाता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्प्रदाता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्प्रदाता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्प्रदाता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्प्रदाता समिति की बैठक के क्रम-17 में शिक्षकों इन फार्मों की पाठ्यक्रम संघटित कर फार्मों नई संस्था का प्रकाशन रखा गया। सम्प्रदाता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श का निष्पत्ति निर्धारित किया गया :-

ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मों संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुक्रम सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्प्रदाता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश रीखा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।

आप को आनुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति के सम्प्रदाता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधान पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित वर्गों के कर्मीय पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्प्रदाता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	शाखा कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	3017	कत इरी प्रसाद स्मृति महाविद्यालय डिप्लोमा इन फार्मों, पर्वत पुत्रा रोड, जयपुर, जयपुर-302005	डिप्लोमा इन फार्मों	00	00

संस्थाओं हेतु नोट

- ✓ संस्था ए (आई0सी0टी0ई0) द्वारा निर्धारित की गयी कर्मीय का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था ए-2 प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद दिनांक 1992 तथा जग निर्मित नियमों एवं आवेदों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की कर्मीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मों पाठ्यक्रम हेतु रु- 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मों पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रतिक्रिया/अनुमति से प्राप्त किया जायेगा। कर्मीय


 डॉ. आशादेवी शर्मा, निदेशिका
 प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ
 जयपुर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थानों को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रसार किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिखे गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम नाम	क्र	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2017	डा० गरी प्रसाद स्मृति न्यायिकालय किंगडॉमन्ट ओप फार्मसी गठन पुनः संर. जारी।	डिप्लोमा इन फार्मसी	50	50	

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एम० 1803 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद दिनिगमवाली 1802 सेक्टर निर्दिष्टतावली-2018 तथा अन्य निर्दिष्ट नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षों इजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,180.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 48,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षों पाठ्यक्रमों (दो बर्षों को दो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.

(Handwritten signature)

प्रधानाचार्य
उ० प्राविधिक शिक्षा परिषद
किंगडॉमन्ट ओप फार्मसी
लखनऊ

- ✓ 00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचना द्वारा निर्गत किये जाने वाले सारनादेश प्रभावी होंगे और अनुसूचक कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो फीस की नवीनताम एवं लागू होगी।
- ✓ संस्था को (30000) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमवली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सारनादेश के अनुसार विरिक्त एवं सम्बद्धता शुल्क प्रेषित करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुसूचक प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/सारनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये विधान, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विनियम इन कार्गैरी माट्रिकलन की संस्थाएं यदि पी0सी0आई0 नई दिल्ली से अनुसूचक प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधित रूप से दिल्ली की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी शर्त राख कर लिया जाता है तथा शर्तों के संबंध में ना सहायत्व द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी जापेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन कार्गैरी पाठ्यक्रम संस्थाओं करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यनिर्दिष्ट प्रारण होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुसूचक प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यनिर्दिष्ट के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनताम आच्छेप नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सुविधाएँ, स्टाफ, माध्य-समय, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविक्तन हेतु उपयुक्त ब्यापक व्यवस्था करने के साथ विनि संस्था के समस्त में समस्त आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में पराहित/संयोजित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि-सतल, कर्मीष, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य ब्यापक के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उत्तराधिकार का प्रयोग किसी अन्य ब्यापक के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निष्कासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(30 अक्षरों में)
सचिव

शुल्क- छात्र/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1072-3141 तद दिनांक: 15-09-2020
प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, सेंट वरी प्रसाद स्मृति महाविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ कार्गैरी महेश पुरा रोड, काशी।


प्रधानाचार्य
सेंट वरी प्रसाद स्मृति महाविद्यालय
डिपार्टमेंट ऑफ कार्गैरी
काशी (उ0प्र0)


(30 अक्षरों में)
सचिव

संघीय प्रविधिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या: गणित/परिषद/सम्बद्धता/2021/ 5431

संलग्न दिनांक: 06.09.21

->समाचार-पत्र->

प्रमाणित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय काउन्सिल ऑफ एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित वर्ष 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 2-9-2021 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिती की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदित कई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संलग्नित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पार्यवक्य प्रदान करने हेतु निर्णय लिया गया। यहाँ पर विधात करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिती की बैठक में निम्न तालिका के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पार्यवक्य एवं उम्मीद अर्पित किया गया हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	वर्ष 2021-22 हेतु पीठ/बोर्ड द्वारा अनुमोदित गार्यवक्य एवं प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता
01	सेड वी प्रान्त प्रौद्योगिकी विद्यालय किंगडॉम नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-20130	किंगडॉम इन फार्सी-80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए03आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमन-1992, प्रोस्टीट विनियमन-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य शैक्षणिक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पार्यवक्य हेतु रु0 30-150,000/- प्रतिवर्ष, दो पीठ करेगी पार्यवक्य हेतु रु0-45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पार्यवक्यों (दो वर्षीय तकनीकी पार्यवक्य के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही फलीक उपरोक्त में प्रायः किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपरोक्त शर्तों में शुल्क के अन्वय में समय-समय पर सहज द्वारा निर्णय किये जाने वाले सार्वजनिक कक्षाएँ होंगे, और लक्ष्यपूर्वक कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीठ निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु पीठ का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीठ की गठन/संख्या ही होगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद) तथा उक्त समितियों, संस्थाओं को सम्बद्धता सिद्ध करना निवृत्त-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रहने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय सारनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क उम्मीद कराना होगा।
- ✓ संस्था को ए03आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।



